



2026: AHC:129471

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18586/2026

नितिन अग्रहरि

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: अशोक कुमार श्रीवास्तव, सलमा बानो

विपक्षी के लिए अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 95/2026 अंतर्गत धारा 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) और 7(1) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, पुलिस स्टेशन-चिताईपुर, जिला-वाराणसी, में जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इस वाद के अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 19.04.2026 से जेल में बंद है। इन परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचरण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान एजीए ने आवेदकों को जमानत देने के अनुरोध का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. उपर्युक्त वाद में संलिप्त आवेदक-**नितिन अग्रहरि** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी (अनुरूप धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी (अनुरूप धारा 84 बीएनएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए आईपीसी (अनुरूप धारा 209 बीएनएस) के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप निर्धारण और (3) धारा 313 सीआरपीसी (धारा 351 बीएनएसएस के अनुरूप) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदकों की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उनके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर सकता है।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I)

25 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।